जिला योजना

संख्याः 4126 /I/2005-6(1)/41/05

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर/
चमोली/देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 29 अगस्त, 2005

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2005–06 में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को जिला योजना के सामान्य सैक्टर में विद्युतीकरण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3430/I/2005-06(1)/41/04, दिनांक 22.07.2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को जिला योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्यों हेतु ऋण के रुप में उपरिउल्लिखित शासनादेश के बाद बचे 3 जनपदों हेतु रु0 85.50 लाख संगत मद से एवं रु0 3.92 लाख संलग्न बी0एम0–15 के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग के माध्यम से अर्थात् कुल रु0 89,42,000.00 (रू0 उन्यासी लाख ब्यालिस हजार मात्र) की धनराशि संलग्नक–। में वर्णित जनपदवार फॉट के अनुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपदों में वे ही कार्य सम्पादित कराये जायेंगे जो चालू योजना के हों एवं जनपद की जिला सैक्टर की योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा चयनित एवं अनुमोदित हैं। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय सीमा के अधीन ही किया जायेगा।

2– व्यय करने से पूर्व योजनाओं पर बजट मैनुअल, फाईनेन्सियल हैण्डबुक स्टोर पर्चेज तथा शासन के मितव्ययता के विषय में आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। उपकरणों आदि का कय डी0पी0एस0 एण्ड डी0 अथवा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

3– सामान्यता ऐसे कार्य जिला योजना के अन्तर्गत किये जायेंगे जिन्हें एक वर्ष की अवधि में पूरा किया जा सकेगा। प्रत्येक कार्य को स्वीकृत करते समय कार्य पूर्ण करने की अवधि सुस्पष्टता से निर्धारित की जायेगी।

6– नये कार्यो पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन एवं सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– स्वीकृत कार्यो की कम्प्यूटरीकृत सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का आहरण त्रैमासिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

8– उक्त स्वीकृत धनराशि के बिल उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा तैयार/हस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोषागार से धनराशि का आहरण किया जायेगा।

9– आवश्यक सामग्री का कय सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जॉच के उपरान्त ही किया जायेगा एवं इस हेतु सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

10– ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु नाबार्ड द्वारा ऋण रु0 6.5% की दर निर्धारित है। इस ऋण पर भी ब्याज की दर 6.5% निर्धारित की जाती है तथा विलम्ब की दशा में 1.0% अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा। मूलधन की वापसी 10 वार्षिक किश्तों में (ब्याज सहित) माह अप्रैल, 2006 से प्रारम्भ होगा।

11– प्रत्येक ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तरांचल को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, निधि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेंगे।

....2

12– उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 जब भी किश्तों का भुगतान करें ब्याज भी अवश्य जमा करें एवं महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारुप पर भेंजे:–

1– कोषागार का नाम, 2– चालान सं0, 3– जमा धनराशि, किश्त, ब्याज, 4– शासनादेश संख्या और एस0एल0आर0 का संदर्भ, 5– लेखाशीर्षक , जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि ब्याज।

13– ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखे से अवश्य करें तथा शासन को मिलान की सूचना उपलब्ध कराई जाय तथा किश्तों के भुगतान का मिलान शासन से भी करा लें।

14– भविष्य में ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाय कि ऋणी संस्था इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करा लिया है ताकि अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋण संस्था महालेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दे।

15– स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 31.03.2006 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

16– जिला योजना में एससीपी/टीएसपी के अन्तर्गत धनराशि अलग से निर्गत की जायेगी।

17– स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2005–2006 के अनुदान सं0 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज–05–पारेषण एवं वितरण–आयोजनागत–190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश–91–उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को ऋण–00–30–निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 1320/XXVII(3)/2005 दिनांक 17 अगस्त, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः 4126(1) /I/2005-6(1)/41/05, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून ।
2– निजी प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु ।
3– अपर निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञान मे लाने हेतु।
4– कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर/चमोली/देहरादून।
5– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून को सूचनार्थ एवं इस आशय से कि आवंटित/आहरित धनराशि को यूपीसीएल के अभिलेखों में यथोचित रुप से अंकित करते हुये शारानादेशों में वर्णित सभी शर्तो की ससमय अनुपालना सुनिश्चित की जाय।
6– वित्त अनुभाग–3।
7– नियोजन विभाग।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।
9– विशेष सैल, ऊर्जा विभाग, उत्तरांचल।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

शासनादेश संख्याः 426 /I/2005-6(1)/41/05, दिनांकः 29 अगस्त, 2005 का संलग्नक–1

(धनराशि लाख रु0 में)

कमांक	मद	जनपद	धनराशि
जिला सैक्टर			
1–	उपसंस्थानों की क्षमता वृद्धि/सुदृढ़ीकरण/ निर्माण/उच्चीकरण, एल0टी0 लाईनों का निर्माण /उच्चीकरण, क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को बदलना, क्षतिग्रस्त खम्भो को बदलना, ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यो हेतु	उधमसिंह नगर	1.00
		चमोली	58.32
		देहरादून	30.10
		योगः–	89.42

कुल योग रू0 89,42,000.00 (रू0 उन्यासी लाख ब्यालिस हजार मात्र)

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

बी0ए0सी0–15

पुनर्विनियोग 2005–2006 आयोजनागत अनुदान सं0–21

नियन्त्रक अधिकारी–सचिव–ऊर्जा विभाग

(रू0 हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक नदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में कुल अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
6801– बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज 05– पारेषण एवं वितरण 190– सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 04– उत्तरांचल पावर कारपोरेशन को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आर0ई0सी0 से ऋण–00 30– निवेश/ऋण 450000	162358	287250	392 (क)	6801– बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज 05– पारेषण एवं वितरण 190– सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 91– उत्तरांचल पावर कारपोरेशन को ऋण 30– निवेश/ऋण 392(ख)	39755	449608	(क) केन्द्रांश में परिवर्तन के कारण सम्भावित बचत के दृष्टिगत। (ख) प्लान आउट–ले होने लेकिन इसकी बजट व्यवस्था कम होने के कारण।
	162358	287250	392	392(ख)	39755	449608	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद–150,151,155,156 में उल्लिखित सामाओं का एवं प्राविधानों का उल्लघन नहीं होता है।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्याः 1320 (क)/XXVII-3/05
देहरादूनः दिनांकः 17 अगस्त, 2005

पुनर्विनियोग स्वीकृत

टी.एन. सिंह
अपर सचिव

4126(ii)
संख्याः /I/2005-06(1)/41/05 दिनांक 29 अगस्त, 2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव